उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 अंक 7 1-15 अप्रैल 2021 ₹ 20/-

विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का होगा पुरातात्विक सर्वे

- पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी पर संकट के बादल
- जॉर्डन का संकट टला
- ईरान में चीन के साथ हुए समझौतों के खिलाफ प्रदर्शन
- सिमी के एक दर्जन कार्यकर्ताओं को उम्रकैद

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई
दिल्ली-110016
दूरभाषः 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का होगा पुरातात्विक सर्वे 04
पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी पर संकट के बादल 07
मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित मुकदमे वापस 09
संघ प्रमुख की पुस्तक का उर्दू में लोकार्पण 10
इशरत जहां मुठभेड़ केस के आरोपी बरी 11
मौलाना वली रहमानी का निधन 13

विश्व

ईरान में चीन के साथ हुए समझौतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 15
बांग्लादेश में मोदी विरोधी प्रदर्शनों के पीछे पाकिस्तान का हाथ 17
इंडोनेशिया में गिरजाघर के बाहर आत्मघाती हमले 19
तुर्की में जर्मन पर्यटकों पर हमला करने वालों को उम्रकैद 20
सोमालिया में सैनिक अड्डे पर हमले में 47 अधिकारियों की मौत 20

पश्चिम एशिया

जॉर्डन का संकट टला 21
सऊदी अरब और इराक के बीच समझौते 23
ईरान के साथ परमाणु संधि पर चर्चा 24
नग्न तस्वीर खिंचवाने वाले दुबई से निष्कासित 24
एर्दोगान की आलोचना करने वाले दस पूर्व सैनिक अधिकारी गिरफ्तार 25

अन्य

सिमी के एक दर्जन कार्यकर्ताओं को उम्रकैद 26
कश्मीर में शियाओं की सबसे बड़ी मस्जिद 26
इंद्रेश कुमार की शिया नेताओं से मुलाकात 27
काबा में इस्लामिक स्टेट का नारा लगाने वाला गिरफ्तार 27
हैदराबाद की मक्का मस्जिद के कर्मचारियों पर बेरोजगारी का संकट 27

सारांश

वाराणसी के सिविल न्यायाधीश के एक फैसले ने देश भर में हलचल मचा दी है। न्यायाधीश ने भारतीय पुरातत्व परिषद को यह सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है कि क्या वाराणसी की विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण प्राचीन काशी विश्वनाथ के मंदिर के अवशेषों पर हुआ है? न्यायाधीश ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर उस स्थान का उत्खन्न भी करवाया जाए। मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में बने रहने के लिए इन मुद्दों को उछालने का प्रयास कर रही है। उनका यह भी तर्क है कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायाधीश का यह फैसला सरासर गलत है।

इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि भारतीय संसद ने 1991 में उपासना स्थल संरक्षण कानून पारित किया था, जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि देश में विभिन्न ऐतिहासिक उपासना स्थलों की 1947 में जो स्थिति थी उसको नहीं बदला जाएगा। इस कानून में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले को छूट दी गई थी। क्योंकि यह मामला 1947 से पहले ही न्यायालय में चला गया था। यह एक प्रश्न है कि इस कानून को बनाने के पीछे नरसिम्हा राव सरकार की क्या मंशा थी? इतिहास के शोधकर्ता इस बात को भलीभांति जानते हैं कि वाराणसी स्थित प्राचीन काशी विश्वनाथ के ऐतिहासिक मंदिर को औरंगजेब के निर्देश पर ध्वस्त करके उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। इस संदर्भ में औरंगजेब का शाही फरमान भी मौजूद है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है।

इसी तरह से मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव पर ओरछा नरेश ने जो सात खंड का भव्य मंदिर बनवाया था उसे भी शाही फरमान जारी करके औरंगजेब ने न सिर्फ ध्वस्त करवाया था बल्कि इस मंदिर के मूल स्थान पर ईदगाह का भी निर्माण किया गया था।

अरब जगत में परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। हाल ही में जॉर्डन में शहजादा हमजा ने अपने भाई शाह अब्दुल्ला द्वितीय के खिलाफ जो बगावत की है उससे इसका स्पष्ट संकेत मिलता है। खास बात यह है कि अमेरिका, सऊदी अरब सहित एक दर्जन अरब देशों ने शाह अब्दुल्ला का समर्थन किया है। चीन द्वारा अरब देशों में पैर पसारने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसे भी नजरअंदाज करना भारत के कतई हित में नहीं है। हाल ही में चीन ने ईरान के साथ 25 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत चीन ईरान में भारी पूंजी निवेश कर रहा है। इसके अतिरिक्त उसने ईरान से भारी मात्रा में सस्ते मूल्यों पर तेल खरीदने की भी घोषणा की है। उसका इरादा इस तेल को पाकिस्तान के सहयोग से बनाए गए आर्थिक गलियारे से चीन तक पहुंचाने का है। अरब जगत में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव आने वाले समय में अमेरिका और इजरायल के लिए भारी सिरदर्द बन सकता है।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की पुस्तक 'भविष्य का भारत' का प्रकाशन उर्दू भाषा में किया है। इस पुस्तक का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने किया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने देश के मुसलमानों से इस बात का आह्वान किया कि वे संघ के समीप आएं और उसे समझने की कोशिश करें। ताकि उनमें संघ के विषय में जो गलतफहमियां फैलाई गई हैं उनका निराकरण किया जा सके।

राष्ट्रीय

विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का होगा पुरातात्विक सर्वे

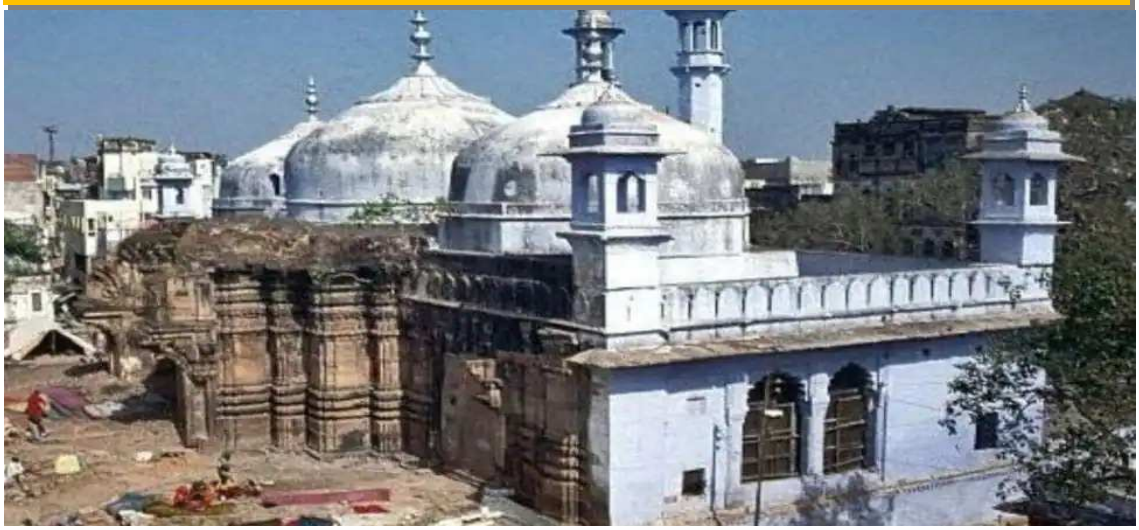

इंकलाब (9 अप्रैल) के अनुसार वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में सिविल न्यायाधीश ने एक फैसला दिया है। इस फैसले के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद भी दूसरी बाबरी मस्जिद बनेगी। न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे सर्वेक्षण करके खुदाई करने का निर्देश दिया है। सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग की निगरानी में होगा और उसके लिए एक पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें दो मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। मुस्लिम संस्थानों ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ उसका फैसला आना ही बाकी है। उच्च न्यायालय के फैसले का इंतेजार किए बिना सिविल न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाए जाने पर भी कई प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने कहा है कि न्यायालय का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। 1991 में संसद द्वारा पारित उपासना स्थल अधिनियम के अनुसार ज्ञानवापी मामले का मुकदमा चल ही नहीं सकता। उच्च न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद मामले के वकील सैयद फरमान नकवी का कहना है कि जिस न्यायाधीश ने यह फैसला दिया है उनका तबादला हो चुका है। फैसला देने वाले न्यायाधीश काफी विवादित रहे हैं। इसलिए इस फैसले को जिला न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस फैसले से हिंदुओं को लाभ होगा। तो उन्होंने कहा कि यह तो साफ ही है। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी, बनारस व सुन्नी सेंट्रल वक्फ के बीच दशकों से चला आ रहा है। लॉर्ड विश्वेश्वर के पक्षकार का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मस्जिद की जगह पर स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर का मंदिर था जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब के निर्देश पर 1669 में ध्वस्त कर दिया

गया था। इसलिए इस मस्जिद का निर्माण गैरकानूनी ढंग से हुआ है। जबकि उनकी इस याचिका का विरोध मस्जिद की प्रबंध समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया था।

इंकलाब (10 अप्रैल) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से यह अपील की है कि वे परेशान और चिंतित न हों। समाचारपत्र ने सिविल न्यायालय के इस फैसले को कानून के साथ खिलवाड़ बताया है और कहा है कि इस फैसले को चुनौती देने के लिए तैयारी की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी महामंत्री मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि 1991 में संसद ने जो कानून बनाया था उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस स्थिति में थे उसी स्थिति को यथावत रखा जाएगा। उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए इस अदालती फैसले का कोई महत्व नहीं है। उच्च न्यायालय इस संबंध में स्थगन आदेश पारित कर चुकी है। मगर इसके बावजूद सिविल कोर्ट के एक जज ने मस्जिद की भूमि का सर्वेक्षण करने का आदेश जारी कर दिया है जो कि सरासर गलत है और उसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम वकीलों की एक समिति का गठन किया जा चुका है।

हमारा समाज (10 अप्रैल) के अनुसार ज्ञानवापी में नए मंदिर का निर्माण करने और हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार देने के संबंध में 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास ने मुकदमा दायर किया था जो कि विचाराधीन था। 10 दिसंबर, 2019 को विजय सिंह रस्तोगी ने न्यायालय में एक याचिका दायर करके यह दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में ज्योतिर्लिंग शिव का मंदिर है। औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था और वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाकर नमाज का सिलसिला शुरू करवाया था। याचिकाकर्ता के अनुसार अब भी यह भवन मंदिर ही है और इस विवादित ढांचे के नीचे मौजूद है। इसलिए इस भवन के नीचे खुदाई कराकर स्थिति को स्पष्ट किया जाए।

इत्तेमाद (9 अप्रैल) के अनुसार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी ने यह घोषणा की है कि इस अदालती फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 अप्रैल) के अनुसार मस्जिद प्रबंध समिति के अध्यक्ष सैयद आस्मिन ने कहा है कि हम सर्वे करने वाली किसी भी टीम को मस्जिद में घुसने नहीं देंगे।

औरंगाबाद टाइम्स (10 अप्रैल) के अनुसार भाजपा के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मुसलमानों से अपील की है कि वे काशी विश्वनाथ और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को हिंदुओं के हवाले कर दें।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 अप्रैल) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी के डॉ. कासिम रसूल इल्यास ने कहा है कि मुसलमानों ने ज्ञानवापी मस्जिद को लावारिस नहीं छोड़ा है। अगर खुदाई का सिलसिला शुरू हो गया तो जैन और बौद्ध धर्म स्थानों को तोड़े जाने का मामला भी उठेगा, जिन्हें कभी हिंदुत्व के समर्थकों ने हजारों की संख्या में तोड़ा था।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के दौरान कई बार हिंदुओं की ओर से मुसलमानों से यह अपील की गई थी कि

वे सद्भावना के तहत बाबरी मस्जिद को हिंदुओं को सौंप दें। मगर मुसलमानों और कानून के जानकारों को यह खटका लगा रहता था कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। मुस्लिम उलेमा का कहना था कि मस्जिद खुदा का घर है और उसे सद्भावना के नाम पर किसी को नहीं सौपा जा सकता। एक बार जो मस्जिद बन गई वह कयामत तक बनी रहेगी। जबकि बुद्धिजीवियों को यह भय था कि अगर बाबरी मस्जिद हिंदुओं को सौंप दी गई तो उसके बाद अन्य मस्जिदों पर भी दावे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन बार-बार इस बात पर जोर देते रहे कि वे इस मामले में न्यायालयी फैसले को मानेंगे।

जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि यह आस्था और श्रद्धा का मामला है। इसमें न्यायालय का कोई काम नहीं है। इसलिए हम इस मामले में किसी न्यायालयी फैसले को नहीं मानेंगे। उनकी ओर से यह भी नारा लगाया गया था, "अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।" उच्च न्यायालय के फैसले को किसी ने भी नहीं माना और उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च नयायालय में मालिकाना हक, तर्क और सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दिया। अब आरएसएस-बीजेपी ने ज्ञानवापी मस्जिद को अगले चुनाव का मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी संदर्भ में हाल ही में वाराणसी के सिविल न्यायाधीश ने भी ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग से करवाने का निर्देश दे दिया है।

टिप्पणी : मुस्लिम इतिहासकार फिरिश्ता ने दावा किया है कि महमूद गजनवी ने भारत में सैकड़ों मंदिरों को तबाह किया और उनकी अकूत संपदा को लूटा और लाखों लोगों को गुलाम बनाकर ले गया। मंदिरों को हर मुस्लिम आक्रमणकारी ने अपना निशाना बनाया। उन्हें लूटा, मूर्तियों को तोड़ा और अनेक मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया। सन मार्टिन ने अपनी पुस्तक में पुरातत्व प्रमाण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि औरंगजेब ने इस देश में सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया और उन्हें मस्जिदों में बदला। इनमें विश्वविख्यात काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। 1664 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर पहला हमला किया था जिसे नागा साधुओं ने हजारों की संख्या में आत्मबलिदान देकर विफल कर दिया। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ की पवित्र मंदिर को ध्वस्त करके उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। वाराणसी विश्व के प्राचीनतम नगरों में से है। काशी विश्वनाथ हिंदुओं के परम पवित्र बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं।

अनेक विदेशी इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद के समीप प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरावशेष दबे हुए हैं। इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ के पवित्र मंदिर को ध्वस्त किया। मगर इस मंदिर का पुनर्निर्माण 13वीं शताब्दी में कुछ गुजराती व्यापारियों ने किया, जिसे बाद में जौनपुर के शर्की सुलतानों ने पुनः मिट्टी में मिला दिया। 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी की फौज ने फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया, जिसका नवनिर्माण अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने करवाया। इसी मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था।

वर्तमान मंदिर जो कि पुराने मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है उसका निर्माण इंदौर की महाराणी अहिल्या बाई होल्कर ने करवाया था। बताया जाता है कि उनके ससुर मलहार राव होल्कर ने 1742 में इस बात का प्रयास किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करके वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाए। मगर अवध के नवाबों के हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हो सका। अहिल्या बाई होल्कर ने वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में करवाया था। यह मंदिर विश्वनाथ के मूल मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से कुछ दूरी पर स्थित है। इसी मंदिर को पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने 40 मन सोना दान दिया था जो कि आज भी इस मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ा रहा है।

पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी पर संकट के बादल

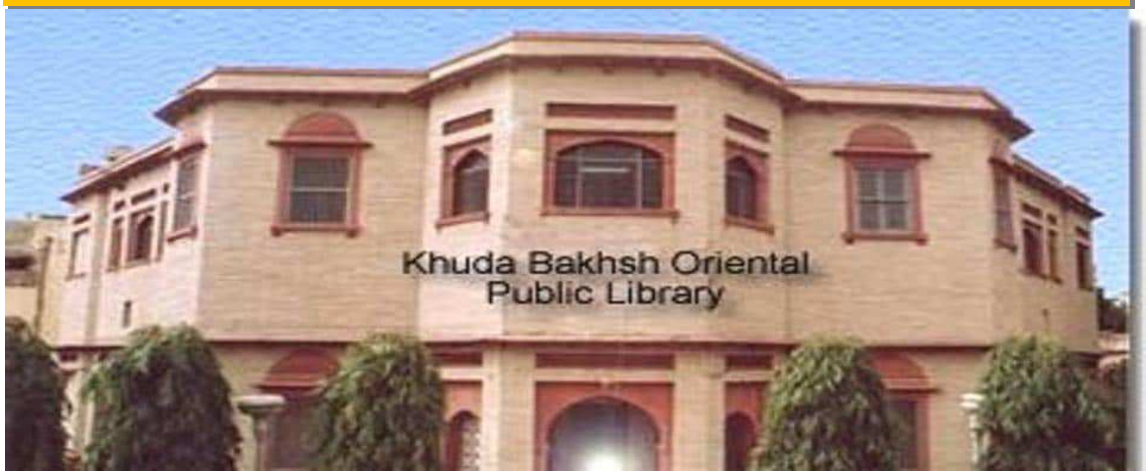

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 अप्रैल) के अनुसार देश की शान खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना का अस्तित्व खतरे में है। 115 वर्ष पुराना यह पुस्तकालय बिहार की राजधानी पटना के अशोक राजपथ पर स्थित है। इस रास्ते पर ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने कारगिल चौक से लेकर एनआईटी तक फ्लाईओवर बनाने की योजना के तहत इस पुस्तकालय के एक हिस्से को ध्वस्त करने का फैसला किया है। इसके लिए खुदा बख्श लाइब्रेरी प्रशासन से एनओसी मांगा गया है। लाइब्रेरी प्रशासन ने इसका विरोध करते हुए सरकार को एक विस्तृत पत्र लिखा है। लाइब्रेरी की निदेशक शाइस्ता बेदार ने कहा है कि बिहार राज्य फ्लाइओवर के निर्माण के तहत पुस्तकालय के उद्यान और कर्जन रीडिंग रूम सहित भवन के एक बड़े भाग को ध्वस्त करना चाहती है। हालांकि यह ऐतिहासिक भवन है जो ग्रीन बेल्ट में आता है। इस पुस्तकालय का देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महत्व है। निदेशक ने कहा है कि ट्रैफिक जाम की समस्या वास्तव में पीएमसीएच और इसके आगे पटना मार्केट और सब्जी बाग के आसपास की सड़कों पर है। इससे खुदा बख्श लाइब्रेरी का कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहां फ्लाइओवर का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह देश का एकमात्र ऐसा पुस्तकालय है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में दर्ज है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। इंटेक ने भी यह घोषणा की है कि यदि

इस विश्व धरोहर को छुआ भी गया तो इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा और हम इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के चेयरमैन पंकज कुमार पाल ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और कहा है कि न तो इस मामले की उन्हें कोई जानकारी है और न ही इस पर वे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे।

अवधनामा (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में इस बात की आलोचना की है कि सरकार चाहे कोई भी हो वह हमेशा मुसलमानों से जुड़े हुए भवनों को ही अपना निशाना बनाती है। विशेष रूप से जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहीं ऐसा क्यों होता है। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। समाचारपत्र का यह भी कहना है कि इस पुस्तकालय में 21 हजार से भी अधिक अरबी, फारसी, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं की दुर्लभ पांडुलिपियां हैं जो कि विश्व के किसी भी पुस्तकालय के पास नहीं है। यही कारण है कि विश्व भर के अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य के लिए इसी लाइब्रेरी का सहारा लेते हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि क्या इस पुस्तकालय को इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसका नाम खुदा बख्श लाइब्रेरी है। समाचारपत्र ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है कि वे इस मामले में समझदारी से काम लें।

टिप्पणी : खुदा बख्श लाइब्रेरी को खान बहादुर खुदा बख्श ने 1891 में स्थापित किया था। तब इसमें 4,000 पांडुलिपियां थीं जो कि उन्हें अपने पिता मौलवी मोहम्मद बख्श से प्राप्त हुई थीं। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसके अध्यक्ष बिहार के राज्यपाल होते हैं। यह पांडुलिपियों, तैलचित्रों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की विश्व विख्यात धरोहर है। इस समय इस पुस्तकालय में 21 हजार से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां और तीन लाख के लगभग दुर्लभ पुस्तकें हैं जो कि विश्व की 12 भाषाओं में हैं। इस पुस्तकालय की दुर्लभ पांडुलिपियों में तैमूरनामा भी है, जिस पर मुगल बादशाह जहांगीर का हस्ताक्षर और मुहर है। एक अन्य पांडुलिपि पादशाहनामा पर बाबर के हस्ताक्षर हैं और 1200 वर्ष पुराना दीवान हाफिज भी मौजूद है। इस पुस्तकालय में हिरण की खाल पर लिखी कुरान की पांडुलिपि भी है, जिस पर इस्लाम के तीन खलीफाओं के हस्ताक्षर हैं। इसमें 1611 में लिखा हुआ जहांगीरनामा भी है, जिसे मुगल बादशाह जहांगीर के निर्देश पर लिखा गया था। इस पर जहांगीर के हस्ताक्षर और शाही मुहर अंकित है। अब्बासी दौर के लेखक जकूत का लिखा हुआ कुरान करीम की पांडुलिपि भी है जो कि 667 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पुस्तकालय में चार ऐसी पुस्तकें भी हैं जो कि जॉर्ज पंचम ने इस पुस्तकालय को प्रदान की थी, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। दारा शिकोह द्वारा लिखित उपनिषदों के फारसी अनुवाद की पांडुलिपियां भी इस पुस्तकालय की शोभा बढ़ाती हैं। अबू अली सीना की लिखी हुई पांडुलीपी भी इस पुस्तकालय में है, जिसमें आंखों का ऑपरेशन करने के तरीके पर प्रकाश डाला गया है। इस पर अबु सीना के हस्ताक्षर और मुहर भी है। यह लाइब्रेरी विश्व के चार सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तकालयों में से एक है। अन्य तीन पुस्तकालयों में रूस का सेंट पीट्र्सबर्ग स्थित रसियन नेशनल पुस्तकालय, लंदन का ब्रिटिश पुस्तकालय और पेरिस का पुस्तकालय शामिल हैं। विश्व के इस्लामिक साहित्य का यह अनूठा भंडार है। इसका निरीक्षण महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू तक कर चुके हैं।

मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित मुकदमे वापस

इंकलाब (28 मार्च) के अनुसार 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे मामले में योगी सरकार ने भाजपा के कुछ महत्त्वपूर्ण नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं। जिन नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लिए गए हैं उनमें गन्ना मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम शामिल हैं। इनके खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की न्यायालय में मुकदमे चल रहे थे। इससे पूर्व भी राज्य सरकार ने सुरेश राणा और संगीत सोम के खिलाफ न्यायालय में चल रहे मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया था। इसके लिए सरकारी वकील राजीव शर्मा ने न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। इन नेताओं के खिलाफ उत्तेजक भाषण देकर दंगे भड़काने का आरोप है। उन्होंने नाग्ला महापंचायत में मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिया था। इसी सभा में साध्वी प्राची ने भी सचिन और गौरव की हत्या का बदला लेने का आह्वान किया था। इन दंगों की शुरुआत मुसलमानों द्वारा कुछ बहुसंख्यक किशोरियों से छेड़छाड़ करने से हुई थी। सरकारी आकड़ों के अनुसार इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे और 50 हजार से अधिक लोगों को अपने घर छोड़कर शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी। अब तक योगी सरकार 70 से अधिक ऐसे मुकदमे वापस ले चुकी है। लोकसभा चुनाव से पूर्व 48 मुकदमे वापस लिए गए थे। सरकार का कहना था कि ये मुकदमे फर्जी हैं और उन्हें राजनीतिक बदले की भावना के तहत बनाया गया था। इन दंगों के संबंध में जिन भाजपा के प्रमुख नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान, भारतेन्द्र सिंह और श्यामपाल जैसे प्रमुख नेता शामिल थे।

सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए राज्य के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल जफरयाब जिलानी ने कहा कि यह फैसला उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ है। क्योंकि उच्च न्यायालय यह स्पष्ट शब्दों में कह चुकी है कि गंभीर आरोपों से संबंधित मुकदमा वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम संगठनों से अपील की कि वे इस सरकारी फैसले के खिलाफ अपील करें। पीस पार्टी के प्रमुख डॉ. अयूब का कहना है कि ये दंगे भाजपा और समाजवादी पार्टी की गठजोड़ का नतीजा था। एक ने शासन में रहते हुए लूटपाट की खुली छूट दी तो दूसरे ने मुकदमे वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का इतना दबाव है कि कोई भी पीड़ित इस सरकारी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं करेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता शाहनवाज आलम ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं ही आरोपी हों तो उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि न्यायपालिका ने भी सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 मार्च) ने अपने संपादकीय में उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों कानून का राज नहीं बल्कि जंगलराज है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया मुस्लिम विरोधी है। यही कारण है कि होली के अवसर पर शाहजहांपुर में नगर की सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। जबकि मथुरा में संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई की। उन पर कोई कार्रवाई करने की बजाय प्रशासन ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज करवा दिए। समाचारपत्र का कहना है कि प्रशासन कानून और न्याय व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है।

संघ प्रमुख की पुस्तक का उर्दू में लोकार्पण

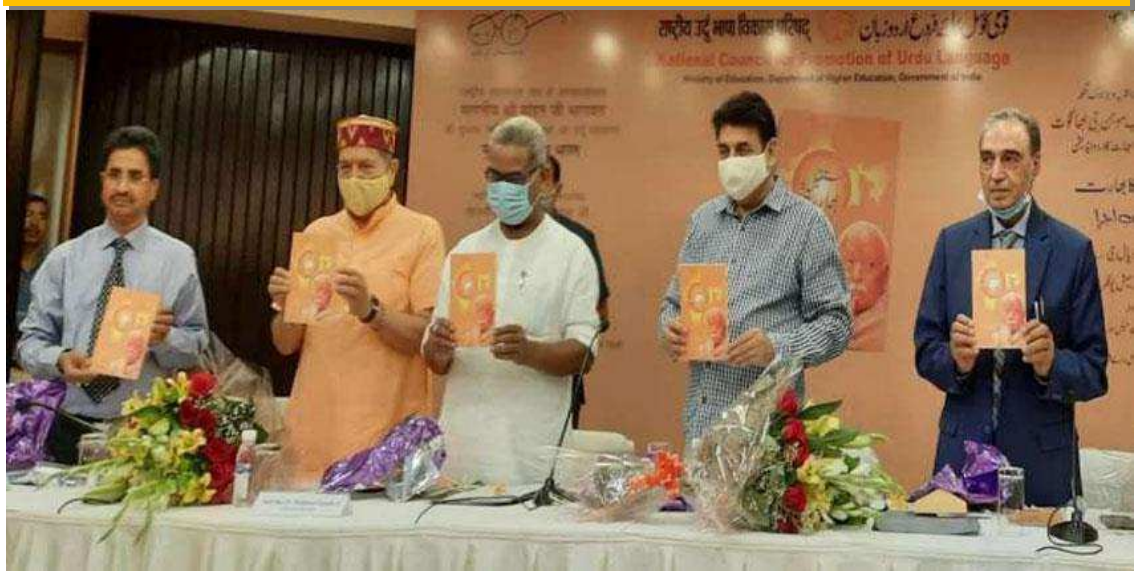

इंकलाब (6 अप्रैल) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की पुस्तक 'भविष्य का भारत' के उर्दू अनुवाद 'मुस्तकबिल का भारत' का लोकार्पण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया, जिसमें आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति फिरोज बख्त अहमद और इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी के अतिरिक्त अनेक प्रमुख विद्वान मौजूद थे। पुस्तक के अनुवादक और राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉ. अकील अहमद ने इस पुस्तक की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। पुस्तक का विमोचन करते हुए संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि संघ को लेकर मुसलमानों में जो धारणाएं हैं उनको दूर करने के लिए वे संघ के नजदीक आकर समझें। उन्होंने कहा कि जब तक किसी के दिल में संदेह हो या कुछ गलतफहमियां हों तो उनको दूर करने के लिए एक दूसरे के नजदीक जाना जरूरी है। जब तक देश के सभी वर्ग एक दूसरे को सही ढंग से नहीं समझेंगे देश एकजुट नहीं हो सकता। इसलिए हम निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे करीब आएं। आप हमें जाने और समझें ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके। दूर से देखना और कही सुनी बातों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। आप जो भी प्रश्न करेंगे हम सभी का जवाब देंगे। हम तर्क-वितर्क में विश्वास रखते हैं और विरोधी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं। हम दरिया की धारा की तरह बहने वाले लोगों में हैं। हम देश के 135 करोड़ लोगों को एक मानते हैं और उनमें किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। हम एक हैं, एक परिवार हैं और एक देश के हैं। अगर किसी के मन में कोई संदेह हो तो इससे देश की एकता में बाधा पड़ती है।

यह पुस्तक सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा 2018 में विज्ञान भवन में दिए गए तीन

दिवसीय उद्‌बोधनों पर आधारित है। डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि संघ का लक्ष्य अनुशासन के साथ देश को खड़ा करना है। हमारा इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लाखों लोगों का सहयोग चाहिए। संघ अपने इसी चिंतन के साथ परिवर्तन लाने में सक्रिय है। हम लोगों को अपने साथ जोड़ने में विश्वास करते हैं। कोरोना काल में संघ के स्वयंसेवकों ने मुस्लिम बस्तियों में जाकर वहां के लोगों के कल्याण के लिए बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू एक कौम है। इसको पश्चिम की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह हजारों पंथों, विचारधाराओं का एक प्लेटफॉर्म है। हिंदू और हिंदुत्व का कैसे विकास होगा इसका मनन और चिंतन करने की जरूरत है। हिंदुत्व किसी एक से नहीं बल्कि हजारों लोगों के सहयोग से विकसित हुआ है। इसमें बुद्ध, महावीर, रसखान और रहीम जैसे न जाने कितने लोगों का सहयोग है। यह दरिया है, कोई तालाब नहीं।

डॉ. अकील अहमद ने कहा कि 'भविष्य का भारत' मोहन भागवत जी का अनूठा ग्रंथ है, जिसमें देश की सभ्यता, संस्कृति और एकता के परिप्रेक्ष्य में विचार व्यक्त किए गए हैं और इसके साथ ही इसमें देश के भविष्य की खूबसूरत तस्वीर भी पेश की गई है। मोहन भागवत जी ने इस पुस्तक में विभिन्न धर्मों के बीच आदान-प्रदान पर जोर दिया है और संघ से संबंधित लोगों को इस्लाम की बुनियादी शिक्षा और इतिहास का अध्ययन करने की जरूरत पर जोर दिया है और मुसलमानों से अनुरोध किया है कि वे संघ की शाखाओं में जाकर सीधी जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि मैंने इस पुस्तक का शीर्षक 'मुस्तकबिल का भारत' इसलिए रखा है क्योंकि आरएसएस जैसी कल्याणकारी संस्था के बारे में मुसलमानों में जो गलतफहमियां और संदेह आदि हैं वह दूर हो जाएं और आरएसएस की बुनियादी विचारधारा को समझा जाए ताकि दोनों वर्गों के बीच भेदभाव का अंत हो।

इशरत जहां मुठभेड़ केस के आरोपी बरी

इंकलाब (1 अप्रैल) के अनुसार इशरत जहां केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने अन्य तीन आरोपियों को भी बरी कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की सदस्य नहीं थी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल सका है। इसलिए गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया जा सकता है। इससे साबित होता है कि इशरत जहां एक आतंकवादी थी। इसी कारण से तीनों पुलिस अधिकारियों तरूण बारोट, अंजु चौधरी और गिरीश सिंघल

को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। न्यायालय ने कहा है कि क्राइम ब्रांच के इन अधिकारियों ने गुप्तचर विभाग से मिली सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की थी। इन अधिकारियों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। इन तीनों अधिकारियों ने सीबीआई की अदालत में याचिका दायर करके यह मांग की थी कि इस मामले में अनेक उच्चाधिकारियों को बरी किया जा चुका है इसलिए उन्हें भी बरी किया जाए। सीबीआई ने इन अधिकारियों की याचिका का विरोध नहीं किया था। इससे पूर्व भी जब चार अधिकारियों को न्यायालय ने बरी किया था तो सीबीआई ने उस फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं की थी। याद रहे कि इशरत जहां और उसके तीन सहयोगियों जावेद शेख, अमजद अली, जीशान जोहर को गुजरात क्राइम विभाग ने जून 2004 में एक मुठभेड़ में मार दिया था। इस मुठभेड़ के बाद गुजरात पुलिस के पूर्व महानिदेशक पीपी पांडेय, पूर्व आईपीएस और क्राइम विभाग के प्रमुख डीजी बंजारा और डीएसपी एनके अमीन को आरोपी बनाया गया था मगर न्यायालय उन्हें पहले ही बरी कर चुकी है।

इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए **अवधनामा** (6 मार्च) में शकील रशीद ने लिखा है कि क्या इशरत जहां की कहानी खत्म हो गई है? वे तमाम पुलिस वाले जो इशरत जहां के एनकाउंटर में दोषी थे उनके बरी हो जाने के बाद तो यही लगता है। तो क्या फिर यह मान लिया जाए कि इशरत जहां एक आतंकवादी थी? जो कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या करने के इरादे से अपने साथियों के साथ अहमदाबाद में दाखिल हुई थी। कोई माने या न माने पुलिस और न्यायपालिका तो यही मनवाना चाहती है। न्यायालय यह कहती रहे कि इशरत जहां और उसके साथियों को मारकर इन पुलिस वालों ने अपना कर्तव्य पूरा किया है लेकिन यह सच सारी दुनिया के सामने है कि जिसे ड्यूटी बजाना कहा जा रहा है वह इंतेहाई बेदर्दी से किया गया फेक एनकाउंटर था। जब भी इन बरी होने वाले अफसरों का जिक्र होगा तो इशरत जहां की कहानी ताजा होगी, खत्म नहीं होगी। न्यायालय में यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि इशरत जहां आतंकवादी थी। पुलिस की कहानी में बहुत झोल और खामियां हैं। अफसोस कि गुजरात सरकार ने किसी भी पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। इसलिए न्यायालय को भी यह मान लेना पड़ा कि पुलिस वाले ने जो कुछ किया वह उनका कर्तव्य था।

लेखक का कहना है कि इशरत जहां की कहानी 15 जून, 2004 को शुरू होती है। मैं मुंबई की मुस्लिम बहुल बस्ती मुंब्रा में मौजूद था। जब इशरत जहां की लाश को अहमदाबाद से लाया गया था और उसे स्थानीय कब्रिस्तान में दफन किया गया था। उस समय यह लग रहा था कि खालसा कॉलेज की 19 वर्षीया छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए हर शख्स बेचैन है। मगर बाद में यह जिम्मेवारी सिर्फ उसकी मां समीना कौसर के सिर पर आ गई। अब बाकी के तीन पुलिस अधिकारियों को बरी किए जाने पर शमीमा कौसर ने सच ही कहा है कि शुरू से ही इस मामले की सुनवाई एकतरफा थी। इस मामले के आरोपी आम आदमी नहीं थे बल्कि ये बहुत ताकतवर और प्रभावशाली राजनेता थे। भाजपा के आज के नम्बर दो के नेता अमित शाह को भी इस मामले में सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। आरोपियों में गुजरात पुलिस के उच्चाधिकारी शामिल थे। ये वे थे जिन पर इशरत जहां के अपहरण, गैरकानूनी हिरासत और हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे थे। दिनेश एमएन पहले ही बाहर आ गए थे। डीजी बंजारा भी सलाखों के पीछे नहीं हैं। पूर्व

डीजीपी पीपी पांडे पहले ही बरी हो चुके हैं। सब जानते हैं कि पीपी पांडेय के दामन पर सिर्फ इशरत जहां की फर्जी मुठभेड़ का दाग ही नहीं लगा था बल्कि उनपर गुजरात दंगों के दौरान फसादियों को नजरअंदाज करने का दाग भी लगा हुआ था।

लेखक के अनुसार यह हकीकत है कि 15 जून, 2004 के दिन जब अहमदाबाद के समीप गुजरात पुलिस ने इशरत जहां सहित चार लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मारा था तो उस समय पांडेय गुजरात पुलिस के प्रमुख थे। जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें यह दावा किया गया था कि आतंकवादियों का यह गिरोह नरेन्द्र मोदी का कत्ल करने के इरादे से अहमदाबाद में दाखिल हुआ था। गवाहों के बयान और सीबीआई की जांच से यह भी सामने आ चुका है कि पीपी पांडेय उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें इस मुठभेड़ की योजना बनाई गई थी। इस मुठभेड़ का उद्देश्य इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर दहशत फैलाना और मोदी को हिंदू हृदय सम्राट की गद्दी पर बैठाना था।

हैरानी की बात यह है कि उस समय गुजरात के एक मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि ये चारों लोग पुलिस मुठभेड़ में नहीं मारे गए बल्कि इनको उस वक्त गोली मारी गई जब वे नजदीक बैठे हुए थे। मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा था कि अगर आतंकवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ कर रहे थे तो किसी पुलिस वाले को क्यों कोई नुकसान नहीं पहुंचा? लाशों के पास जो अस्त्र-शस्त्र पाए गए थे वे बिना लाइसेंस के थे और उन्हें प्लांट किया गया था। जिन लोगों को पाकिस्तानी कहा गया उनके पहचान पत्र भी अंग्रेजी में थे जबकि पाकिस्तान की भाषा उर्दू है। इशरत और जावेद का लश्कर-ए-तैयबा से संबंध का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मजिस्ट्रेट की इस रिपोर्ट ने गुजरात की मोदी सरकार के पांव के नीचे से जमीन खिसका दी। आज ये तमाम पुलिस अफसर बरी हैं। सवाल यह है कि क्या इस देश में लोगों को कत्ल करके पुलिस आसानी से इसी तरह से छुटकारा पाती रहेगी? इसका जवाब शायद हां है। वैसे अभी इशरत जहां के मामले में उच्च अदालतों के दरवाजे खुले हैं। सीबीआई की न्यायालय के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। मगर एक अकेली मां कब तक सरकार से लड़ पाएगी।

मौलाना वली रहमानी का निधन

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री और भारत के सबसे बड़े इस्लामी चिंतक मौलाना वली रहमानी का 3 अप्रैल को पटना के पारस अस्पताल में निधन हो गया।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (4 अप्रैल) के अनुसार राज्य सरकार के सम्मान सहित उन्हें मुंगेर की दरगाह रहमानिया में अपने दादा और पिता की कब्रों के पास दफन कर दिया गया। मौलाना वली

रहमानी का संबंध बगदाद के विख्यात सूफी अब्दुल कादिर जिलानी से है। मौलाना वली रहमानी के पिता सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी थे। वे बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। मगर 1991 में दरगाह रहमानिया के सज्जादानशीन बनने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। उनकी गिनती विश्व के बड़े इस्लामिक विद्वानों में होती है। उन्होंने बिहार में एक उर्दू दैनिक अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया था। कोलंबो यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी और उन्हें राजीव गांधी अवार्ड से भी नवाजा गया। अमेरिका और रूस से भी उन्हें कई अवार्ड प्राप्त हुए। कहा जाता है कि लीबिया के पूर्व तानाशाह कर्नल गद्दाफी ने उन्हें पेशकश की थी कि वे लीबिया में रहकर इस्लामिक शिक्षा की जिम्मेवारी संभालें। उन्हें गद्दाफी के बराबर वेतन दिया जाएगा। मगर रहमानी ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया था। वे मौलाना आजाद एजुकेशन फांउंडेशन के उपाध्यक्ष भी रहे। इन दिनों वे बिहार में उर्दू के प्रचार-प्रसार के काम में लगे हुए थे। उर्दू का कोई ऐसा समाचारपत्र नहीं है जिसने मौलाना के बारे में विशेष लेख न प्रकाशित किया हो।

इंकलाब (7 अप्रैल) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद रब्बै हसनी नदवी ने यह घोषणा की है कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी महासचिव होंगे। उन्होंने कहा है कि स्थाई महासचिव का चयन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगले अधिवेशन में किया जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 अप्रैल) के संपादकीय में देश के मुसलमानों से अपील की गई है कि वे रहमानी के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मैदान में उतरें। समाचारपत्र ने उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमानों का बेबाक और निडर नेता बताया है, जिसने कभी हालात के साथ समझौता नहीं किया। यही कारण है कि तीन तलाक के कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था और मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा के लिए सारी उम्र सक्रिय रहे। उनका सारा जोर इस बात पर था कि देश के हर जिले में शरई अदालतें स्थापित की जाएं, जिनमें मुसलमान अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए संपर्क करें और देश की न्यायव्यवस्था और न्यायालयों के चक्कर से दूर रहें।

अवधनामा (4 अप्रैल) के अनुसार मौलाना वली रहमानी ने पूरा जीवन दीन की सेवा की और मिल्लत की आवाज को उठाया। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी और महामंत्री महमूद मदनी ने उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है और कहा है कि उनका जाना मिल्लत इस्लामिया के लिए ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि दीनी तालिम हासिल करने के साथ-साथ मुसलमान बच्चे आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करें।

इंकलाब (6 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में मौलाना वली रहमानी के निधन को भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी क्षति करार दिया है। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने 'रहमानी 30' नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके तहत हजारों मुस्लिम बच्चों के लिए प्रतियोगी परिक्षाओं की मुफ्त तैयारी की व्यवस्था की गई, जिसके कारण सैकड़ों मुस्लिम बच्चे उच्च नौकरियों के लिए चुने जा सकें। बिहार के प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए उन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए। वे निश्चित रूप से भारतीय मुसलमानों के लिए अनमोल धरोहर थे। ■

विश्व

ईरान में चीन के साथ हुए समझौतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

सियासत (31 मार्च) के अनुसार चीन और ईरान के बीच हुए गुप्त समझौते के खिलाफ ईरान भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी 'ईरान बिक्री के लिए नहीं हैं' के नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईरान के विभिन्न नगरों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से संबंधित समाचार वायरल हो रहे हैं। हाल ही में तेहरान में ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय समझौते के तहत एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं जिस पर ईरान की ओर से विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ और चीन की ओर से वहां के विदेश मंत्री वांग ई ने हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक पत्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा कि मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव से उन्हें काफी चिंता है। इस समझौते के तहत चीन ईरान में पेट्रोलियम और गैस से संबंधित उद्योगों में भारी पूंजी निवेश करेगा। इसके बदले में ईरान सस्ते दामों पर चीन को पेट्रोल बेचेगा, जिसका भुगतान चीन दो वर्ष बाद करेगा। इसी तरह से चीन ईरान में परिवहन क्षेत्र में भी 128 अरब डॉलर का पूंजी निवेश कर रहा है। ईरान और चीन के बीच इस समझौते का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि अमेरिका के साथ ईरान के संबंध खराब हो चुके हैं।

रोजनामा सहारा (29 मार्च) ने एक लेख में मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि अमेरिका और अरब देशों की दोस्ती प्रारम्भ से ही रही है। मगर अफगानिस्तान और इराक में युद्ध में उलझने के बाद इन क्षेत्रों में अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है, जिसका लाभ चीन और रूस ने उठाया है। चीन अरब जगत में अपने प्रभाव को बढ़ाने में विशेष रुचि ले रहा है। हालांकि यह अरब देशों के हित में नहीं है। चीन की नीति अपने मित्र देशों को कर्ज के मकड़जाल में फंसाकर उन्हें आर्थिक रूप

से गुलाम बनाने की रही है। हालांकि अरब जगत में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के लिए अमेरिका भी कम दोषी नहीं है। क्योंकि उसने चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। सीरिया में स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका ने कभी रुचि नहीं दिखाई। जबकि रूस ने खुलकर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद का साथ दिया। हालांकि इस क्षेत्र में चीन और रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव अमेरिका के हित में नहीं है। ईरान पर ट्रम्प प्रशासन ने जो दबाव डाला था उसका फायदा चीन ने उठाया है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने खाड़ी देशों की सहयोग परिषद के सचिव से भी लंबी मुलाकात की। बताया जाता है कि चीन खाड़ी देशों में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में भारी पूंजी निवेश करना चाहता है। इस समय चीन अपने पेट्रोल आवश्यकता का 30 प्रतिशत खाड़ी देशो से पूरी करता है। अब उसका लक्ष्य इसे दोगुना करना है। अगर कोई यह समझता है कि चीन में मुसलमानों के उत्पीड़न को देखते हुए अरब के देश उससे दोस्ती बढ़ाने में संकोच करेंगे तो उसमें किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अरब देशों के लिए मुसलमानों के हितों से उनके अपने हित ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। इस समय अरब देश तीन गुटों में विभाजित हैं। यही कारण है कि चीन अब सऊदी अरब, तुर्की और बहरीन से भी संबंधों को बढ़ाने में रुचि ले रहा है।

दैनिक इंकलाब (6 अप्रैल) में हसन कमाल ने भी अरब देशों में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का विश्लेषण किया है और कहा है कि इस समझौते से दक्षिण एशिया में राजनीति की बाजी ही पलट गई है। अगर अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध जारी भी रखता है तो उसका ईरान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि चीन उसकी सहायता के लिए खुलकर मैदान में आ चुका है। चीन और ईरान के बढ़ते हुए संबंध सऊदी अरब के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। इस बात को देखते हुए चीन के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब का भी दौरा किया है और उसने यमन के युद्ध को समाप्त करने के लिए छह सूत्री योजना भी पेश कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस योजना के पीछे ईरान की भी सहमति है। चीन का यह प्रयास है कि इजरायल के साथ अरब देशों के संबंधों को सुधारने के लिए अमेरिका जो प्रयास कर रहा है उनमें पलीता लगाया जाए। अमेरिका धीरे-धीरे एशिया से बेदखल हो रहा है और उसका स्थान चीन लेने का प्रयास कर रहा है। ईरान अपना पेट्रोल चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे से चीन तक पहुंचाएगा। यह रास्ता छोटा भी है और इसमें कम खर्च भी लगेगा। इससे पाकिस्तान को लाखों डॉलर की आय होगी और अफगानिस्तान को भी चीन और ईरान की दोस्ती से लाभ होगा। मगर इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव भारत के हित में नहीं है। भारत ने ईरान से पेट्रोल की खरीददारी बंद करके अपने हितों पर कुठाराघात किया है। जब भारत ने ईरान से पेट्रोलियम न खरीदने का फैसला किया था तो ईरान के राष्ट्रपति के सलाहकार अली लारीजानी ने व्यंग्य करते हुए कहा था कि ईरान दूसरे देशों से संबंधों के बारे में स्वयं फैसला करता है। किसी के टेलीफोन कॉल पर अपनी विदेश नीति नहीं बदलता। यह व्यंग्य भारत की ओर था। कहा जाता है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के एक टेलिफोन कॉल पर ईरान से पेट्रोलियम न खरीदने का फैसला किया था।

बांग्लादेश में मोदी विरोधी प्रदर्शनों के पीछे पाकिस्तान का हाथ

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दो दिवसीय बांग्लादेश दौरे के बाद वापस लौट गए हैं। उन्होंने इस दौरान बांग्लादेश के साथ पांच समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। मगर इसके बावजूद उनके खिलाफ पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें दो दर्जन के लगभग लोग मारे गए।

इंकलाब (3 अप्रैल) के अनुसार हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को समाप्त हुए एक सप्ताह गुजर चुका है। मगर अभी तक बांगलादेश में इस बात की चर्चा गरम है कि मोदी के खिलाफ हुए देशव्यापी प्रदर्शनों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये प्रदर्शन एक सप्ताह तक जारी रहे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि भारत और मोदी विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला मोदी के दौरे से पूर्व ही शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत मस्जिदों से हुई थी। जहां पर नमाज के बाद मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किए जाते थे। बांग्लादेश सरकार के सूत्रों के अनुसार इन प्रदर्शनों के पीछे हिफाजत-ए-इस्लाम के कार्यकर्ताओं का हाथ था। बांग्लादेश की गुप्तचर एजेंसियां इस आरोप की भी जांच कर रही हैं कि मोदी विरोधी इन प्रदर्शनों को बांग्लादेश स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी और इनका आयोजन किया था। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार इस पाकिस्तान समर्थक संगठन का वर्तमान अध्यक्ष जुनैद बाबूनगारी है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने के लिए कोई बड़ी हरकत करने की तैयारी कर रहा था। कहा जाता है कि उसके तार पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। बाबूनगारी ने चार वर्ष तक पाकिस्तान के इस्लामिक मदरसों में शिक्षा प्राप्त की थी। पिछले

वर्ष जब इस संगठन के प्रमुख शाह अहमद शफी का निधन हुआ था तो इसका नेतृत्व पाकिस्तान के इशारे पर बाबूनगारी ने किया था।

एक अन्य समाचार के अनुसार बांग्लादेश में एक युवक को सोशल मीडिया पर नरेन्द्र मोदी और शेख हसीना का मजाक उड़ाने वाले एक म्युजिक वीडियो को बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम राबिउल इस्लाम है। उसे डिजिटल सेक्युरिटी एक्ट के तहत पकड़ा गया है। इस कानून के तहत उसे 14 वर्ष की सजा हो सकती है।

दैनिक इंकलाब (4 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बांग्लादेश की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नरेन्द्र मोदी को निमंत्रण दिया था। इस अवसर पर मोदी के अतिरिक्त मालदीव, श्रीलंका, भूटान और नेपाल जैसे कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी बांग्लादेश में मौजूद थे। हालांकि बांग्लादेश में अवामी लीग के लोग प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। मगर भारत में इस दौरे के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे। ममता बनर्जी की पार्टी यह कह रही थी कि मोदी जी ने वहां के मतुआ समाज के मंदिरों में जाकर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया है जो कि चुनावी नियमों का खुला उल्लंघन है। मगर भारत के चुनाव आयोग ने उनके इस आरोप का कोई नोटिस नहीं लिया है। वैसे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसकी कोई तुलना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस वाले यह निरंतर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा हर कीमत पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए बेचैन है। इसलिए वह इसमें प्रधानमंत्री से लेकर केन्द्र सरकार की एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

समाचारपत्र ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी के दौरे के दौरान कुछ स्थानों पर बांग्लादेशी हिंदुओं की संपत्ति और हिंदू मंदिरों को हिंसा का निशाना बनाया गया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी राष्ट्राध्यक्ष के दौरे के दौरान उसका विरोध करना और उसके खिलाफ प्रदर्शन करना किसी भी देश के नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। मगर बांग्लादेश के एक अतिवादी मुस्लिम संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने इस कारण मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया क्योंकि उसका कहना था कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है और उसके लिए मोदी जी ओर उनकी पार्टी जिम्मेवार है। इसलिए इनको बांग्लादेश में घुसने नहीं देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न का विरोध करने वालों ने अपने ही देश के अलपसंख्यकों को हिंसा का निशाना बनाया जिसमें कई लोग मारे गए। हमें तो लगता है कि बांग्लादेश वालों ने इस तरह का प्रदर्शन करके भारतीय मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ही पहुंचाया है। अफसोस की बात है कि इस्लाम की शिक्षा को इस्लामिक संगठन भी याद नहीं रखते। हमारी यह सलाह है कि बांग्लादेश वालों को भारतीय मुसलमानों के साथ होने वाले अन्याय पर गम व गुस्सा है तो उन्हें बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसे देखकर हिंदुस्तान के साम्प्रदायिक तत्वों को शर्मिंदगी हो। बांग्लादेश में पहले ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे वहां के अल्पसंख्यक स्वयं को सुरक्षित अनुभव करें।

सहाफत (7 अप्रैल) ने भाजपा नेता शेषाद्रीचारी का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनसंघ ने सक्रिय भाग लिया था और देश भर में सत्याग्रह करके इंदिरा सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वह बांग्लादेश की आजाद सरकार को मान्यता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने भी 2015 में यह स्वीकार किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए भी राष्ट्रहित को देखते हुए इंदिरा सरकार का समर्थन किया था। आरएसएस ने भी एक प्रस्ताव पारित करके तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नागरिकों के उत्पीड़न की निंदा की थी और भारत सरकार से मांग की थी कि वह बांग्लादेश की मुक्ति में पूर्ण सहयोग दे।

इंडोनेशिया में गिरजाघर के बाहर आत्मघाती हमले

इंकलाब (29 मार्च) के अनुसार इंडोनेशिया पुलिस के अनुसार दो आत्मघाती फिदाइनों ने मकास्सर में एक कैथोलिक चर्च के बाहर स्वयं को धमाके से उड़ा लिया। इस धमाके में 14 व्यक्ति घायल हो गए। इंडोनेशिया का गुप्तचर विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि इस हमले के पीछे किस अतिवादी संगठन का हाथ है। पुलिस ने संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापे मारे और इन छापों में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में यह संदेह है कि उन्होंने 2019 में फिलीपींस के एक गिरजाघर में बमों से हमला किया था, जिसमें 20 से अधिक लोग मारे गए थे। पुलिस ने यह दावा किया है कि इन दोनों व्यक्तियों का संबंध अतिवादी इस्लामिक संगठन जमात अंशारूत दौलाह से है। इस संगठन के तार इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं। इससे पूर्व भी 2018 में इसी आतंकवादी इस्लामिक संगठन ने इंडोनेशिया में कुछ गिरजाघरों और पुलिस चौकियों पर हमला किया था, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे। गुप्तचर पुलिस ने आतंकवादियों की गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

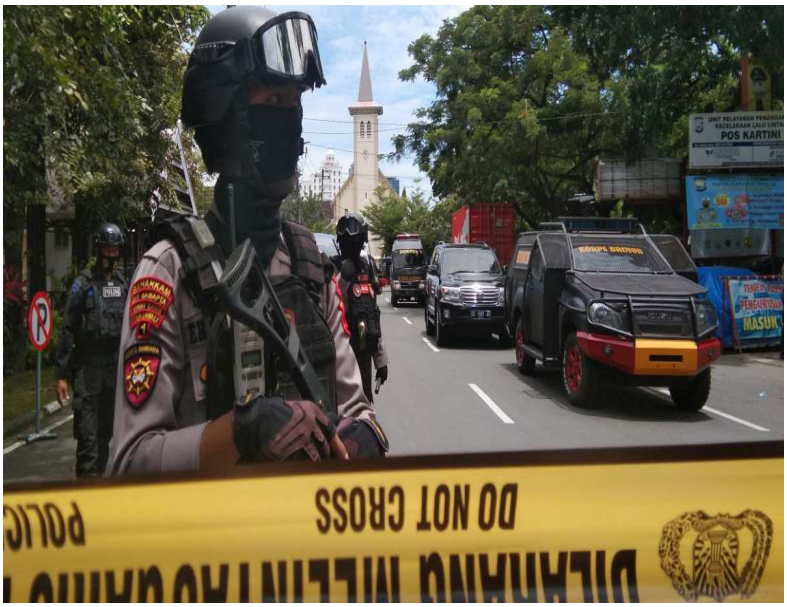

तुर्की में जर्मन पर्यटकों पर हमला करने वालों को उम्रकैद

इंकलाब (8 अप्रैल) के अनुसार तुर्की के एक न्यायालय ने जनवरी 2016 में इस्तांबुल में हुए आत्मघाती हमले से संबंधित चार व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक दर्जन व्यक्तियों को सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया है। यह हमला सुल्तान अहमद स्क्वायर में हुआ था, जिसमें 12 जर्मन पर्यटक मारे गए थे और 16 अन्य जख्मी हुए थे। तुर्की सरकार ने इस हमले का आरोप अतिवादी इस्लामिक संगठन इस्लामिक स्टेट पर लगाया था। मगर इस्लामिक स्टेट ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया है।

तुर्की 2002 में ही मौत की सजा को समाप्त कर चुकी है। इसलिए अब इस देश की सबसे बड़ी सजा बगैर पेरोल के उम्रकैद है। न्यायालय ने आरोपियों को आतंकवाद से संबंधित एक अन्य मुकदमे में भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मुकदमा 26 लोगों के खिलाफ चलाया गया था। 2018 में न्यायालय ने सभी लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मगर बाद में उच्च न्यायालय में की गई अपील के बाद चार लोगों को रिहा कर दिया गया।

सोमालिया में सैनिक अड्डे पर हमले में 48 अधिकारियों की मौत

रोजनामा सहारा (4 अप्रैल) के अनुसार सोमालिया में इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल शबाब ने दो सैनिक अड्डों पर हमला करके 47 अधिकारियों की हत्या कर दी और दर्जनों को घायल कर दिया। इसके बाद देश में सेना और जिहादियों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया है। सोमाली सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इन झड़पों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं और नौ सैनिक अधिकारियों की भी हत्या हुई है। सोमाली सेना के प्रवक्ता के अनुसार आतंकियों के हमलों से निपटने के लिए और अधिक सैनिक भेजे गए हैं। इसके बाद आतंकी मैदान छोड़कर

भाग गए हैं। दूसरी ओर अल शबाब के प्रवक्ता ने सरकारी दावे का खंडन किया है और कहा है कि हमने सेना के वाहनों और गोला बारूद के भंडार पर कब्जा कर लिया है और युद्ध जारी है।

पश्चिम एशिया

जॉर्डन का संकट टला

सहाफत (7 अप्रैल) के अनुसार जॉर्डन के बादशाह शाह अब्दुल्लाह द्वितीय और उनके सौतेले भाई शहजादा हमजा के बीच फिलहाल समझौता हो गया है। बताया जाता है कि इस समझौते को करवाने में सऊदी अरब की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इससे पूर्व शहजादा हमजा ने अपने कुछ सहयोगियों सहित शाह अब्दुल्ला के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद सेना ने उन्हें गिरफ्तार करके महल में कैद कर दिया था। इसके साथ ही जॉर्डन सरकार ने जॉर्डन में विद्रोह और गिरफ्तारियों के किसी भी समाचार के प्रकाशन पर मीडिया और सोशल मीडिया में प्रतिबंध लगा दिया था।

बताया जाता है कि सऊदी अरब के अतिरिक्त अब्दुल्ला के चाचा हुसैन ने भी इस विवाद को सुलझाने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजमहल से जो फरमान जारी किया गया है उसके अनुसार शहजादा हमजा ने कहा है कि वे जॉर्डन के बादशाह और संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। इस बयान पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। इससे पूर्व उन्होंने विदेशी मीडिया को दिए एक बयान में कहा था कि वे बादशाह से डरने वाले नहीं हैं और वे अपने अधिकारों के लिए लडेंगे। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने यह आरोप लगाया था कि शहजादा हमजा विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं और वे देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गुप्तचर एजेंसियों के सहयोग से हमने इस विदेशी साजिश को विफल कर दिया है।

दूसरी ओर हमजा ने इस आरोप का खंडन किया था और कहा था कि उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है।

जॉर्डन के सेना प्रमुख जनरल यूसूफ हुनेती ने दावा किया है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी प्रयास को विफल बना दिया जाएगा। हमजा जॉर्डन के राजा स्वर्गीय हुसैन की सबसे पसंदीदा बेगम नूर के बेटे हैं। जब हुसैन बीमार हो गए थे तो उन्होंने हमजा को स्थायी तौर पर सत्ता सौंपी थी। बाद में न जाने किस कारण से वे अमेरिका से वापस आए और उन्होंने अपने दूसरे बेटे अब्दुल्ला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जबकि हमजा को युवराज का दर्जा दिया गया था। 2014 में वर्तमान बादशाह अब्दुल्ला ने हमजा को युवराज के पद से हटाकर अपने बेटे को युवराज बना दिया था। हमजा जॉर्डन की जनता में काफी लोकप्रिय हैं। उन्हें नेक और सादगी पसंद समझा जाता है। अमेरिका ने यह घोषणा की है कि वह इस विवाद में शाह अब्दुल्ला के समर्थन में है। जॉर्डन में तीन हजार अमेरिकी सैनिक हैं जो कि वहां की सेना को प्रशिक्षण देते हैं। उपप्रधानमंत्री अयमान सफादी ने मीडिया को बताया कि जॉर्डन में सत्ता को अस्थिर करने की जो साजिश रची गई है उसके पीछे बसीम अवादुल्लाह का हाथ है जो कि एक बड़े व्यापारी हैं। बताया जाता है कि ये व्यापारी हमजा की पत्नी को एक विशेष वायुयान द्वारा जॉर्डन से भगाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। खास बात यह है कि जॉर्डन के वर्तमान राजा अब्दुल्ला का समर्थन करने वालों में मिस्र, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, इराक, यमन, फिलिस्तीन और लेबनान भी शामिल हैं।

टिप्पणी : जहां तक जॉर्डन का संबंध है यह पहले विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी और उस्मानिया साम्राज्य की पराजय के बाद अंग्रेजों के आशीर्वाद से अस्तित्व में आया था। उस्मानिया साम्राजय को अंग्रेजों ने विभिन्न देशों में विभाजित करके उनका शासन अपने वफादार लोगों को सौंप दिया था। जॉर्डन का राजा हासमी खानदान को बनाया गया था। तब से लेकर अब तक जॉर्डन पर ब्रिटेन का प्रभाव रहा है। इसके अनेक शासकों की बीवियां ब्रिटिश मूल की थीं। 1948 में इजरायल के जन्म के बाद मध्य एशिया की राजनीति में भारी परिवर्तन हुआ। 1922 में राष्ट्र संघ की परिषद ने ट्रांस-जॉर्डन को एक देश का दर्जा देकर उसे ब्रिटिश संरक्षण में रख दिया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे स्वतंत्र स्वशासी राज्य के रूप में मान्यता दी। 1948 में जब इजरायल का निर्माण किया गया तो वहां के कई फिलिस्तीनी शरणार्थी भागकर पश्चिमी किनारे और जॉर्डन में चले गए। 1950 में जॉर्डन ने पश्चिमी किनारे पर कब्जा कर लिया। 1951 में जॉर्डन के तत्कालीन राजा अब्दुल्ला की एक फिलिस्तीनी जिहादी ने हत्या कर दी। 1952 में हुसैन ने सत्ता संभाली। 1957 में ब्रिटिश सैनिकों ने जॉर्डन को खाली कर दिया। 1967 में इजरायल ने छह दिवसीय युद्ध के दौरान यरूशलम और पश्चिमी तट पर कब्जा कर लिया। 1972 में सेना ने हुसैन का तख्ता पलटने का असफल प्रयास किया। इससे चिढ़कर 1986 में शाह हुसैन ने पीएलओ के साथ सभी तरह के संबंधों का विच्छेद करके उसके कार्यालयों को बंद करवा दिया। 1963 में क्योंकि जॉर्डन में सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इसलिए 1989 में हुए चुनाव में राजा के समर्थक ही चुनाव में सफल हुए। 1994 में जॉर्डन ने इजरायल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 1996 में शाह हुसैन की मृत्यु हो गई। 1999 में उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला ने शासन सम्भाल लिया।

जॉर्डन के इजरायल के साथ राजनयिक संबंध होने के कारण 2000 में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की योजना बनाने वाले छह व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई। 2002 में जॉर्डन और इजरायल ने एक संयुक्त योजना बनाई जिसके तहत लाल सागर का पानी मृत सागर में छोड़ा गया। 2002 में अलकायदा ने अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक की हत्या कर दी। 2003 में देश में चुनाव हुए जिनमें राजा के दो तिहाई समर्थक चुने गए। 2004 में अलकायदा ने राजधानी अम्मान में बम विस्फोट करने की एक योजना बनाई थी, जिसे गुप्तचर एजेंसियों ने विफल कर दिया। 2005 में अलकायदा ने हमला करके सात लोगों की हत्या कर दी। इसके जवाब में 2006 में अलकायदा के प्रमुख अबु मुसाब अल-जरकावी की एक हवाई हमले में हत्या कर दी गई। जॉर्डन के सऊदी अरब के साथ रक्षा संबंध हैं और वह यमन में हव्वासी विद्रोहियों के साथ युद्ध में सऊदी अरब की सहायता कर रहा है।

मध्य एशिया में अशांति के कारण जॉर्डन में शरणार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और इस समय जॉर्डन की कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत सीरियाई शरणार्थी हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक और खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करता है। इस वर्ष विश्व खाद्य संगठन ने साठ करोड़ डॉलर आर्थिक सहायता सीरिया के शरणार्थियों को प्रदान की है। जहां तक शाह अब्दुल्ला के खिलाफ विद्रोह करने वाले उनके सौतेले भाई हमजा का संबंध है वे ब्रिटेन और अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। प्रवेक्षकों का कहना है कि दोनों भाईयों के बीच जो शांति स्थापना हुई है वह अस्थाई है। ताजा जानकारी के अनुसार हमजा और उनकी मां नूर अल-हुसैन अपने महल में नजरबंद हैं।

सऊदी अरब और इराक के बीच समझौते

इत्तेमाद (2 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कदीमी के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इराक के प्रधानमंत्री का सऊदी अरब के सरकारी दौरे में पहुंचने पर युवराज ने उनका स्वागत किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के संबंध में योजना तैयार की गई। कहा जाता है कि इराकी प्रधानमंत्री ने राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सऊदी अरब के साथ

संबंध बढ़ाने के बारे में चर्चा की है।

सियासत (6 अप्रैल) के अनुसार अरब जगत में अमेरिका और इजरायल का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। गत सप्ताह मिस्र, जॉर्डन और इराक के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में यमन, लीबिया और फिलिस्तीन की समस्याओं पर तो विचार-विमर्श किया गया मगर लेबनान के संकट को नजरअंदाज कर दिया गया। अरब जगत में ईरान के साथ चीन के बढ़ते हुए संबंध महत्त्वपूर्ण हैं। सऊदी अरब ने इराक के कृषि क्षेत्र में तीन बिलियन अमेरिकी डॉलर के पूंजी निवेश की योजना बनाई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इराक अपनी अरब पहचान पर जोर दे रहा है। सऊदी रक्षा मंत्री ने कहा है कि इराक भी अन्य देशों की तरह एक अरब देश है और उसकी पहचान को बदला नहीं जा सकता। जरूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र के सभी अरब देश एकजुट हों ताकि अरब जगत सारी दुनिया के सामने एक अलग शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में उभरे। मगर दु:ख की बात यह है कि अरब देश अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं।

ईरान के साथ परमाणु संधि पर चर्चा

सहाफत (7 अप्रैल) के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बचाने के लिए वियना में यूरोपीय यूनियन का एक महत्त्वपूर्ण अधिवेशन शुरू हो गया है। इसमें ईरान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन भाग ले रहे हैं। फिलहाल अमेरिका इस बातचीत से स्वयं को अलग रखे हुए है। ट्रम्प प्रशासन ने 2018 में अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था। मगर नए राष्ट्रपति बाइडेन पुन: इस समझौते में शामिल होना चाहते हैं। इसका रास्ता इस समझौते में शामिल अन्य छह देशों को तलाशना होगा और ट्रम्प प्रशासन ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उनको हटाने के लिए विचार करना होगा। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका इन प्रतिबंधों को नहीं हटाता वह अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख खतीबजादेह ने कहा है कि हम सिर्फ यह चाहते हैं कि अमेरिका एक साथ ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को वापस ले ले। जब तक यह नहीं होता तब तक इस बातचीत में कोई विशेष कामयाबी की संभावना नहीं है। जून में ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और ईरान उससे पहले ही यह चाहता है कि अमेरिका इन प्रतिबंधों को हटा ले।

नग्न तस्वीर खिंचवाने वाले दुबई से निष्कासित

रोजनामा सहारा (8 अप्रैल) के अनुसार दुबई ने उन तमाम महिलाओं, पुरुषों और फोटोग्राफरों को अपने देश से निष्कासित करने की घोषणा की है जिन्होंने नग्न तस्वीर खींचे थे। दुबई में सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाना, शराब पीना और आपत्तिजनक फोटो खिंचवाना जुर्म है और ऐसे कार्यों के लिए छह से 18 महीनों की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। 3 अप्रैल को दुबई के

ऊँचे भवनों वाले क्षेत्र मरीना में एक भवन की बालकनी में बीस से अधिक यूरोपीय महिलाओं को नग्न तस्वीरें खिचवाते हुए देखा गया था। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद पुलिस ने फोटोग्राफर सहित 40 लोगों को गिरफ्तार किया था। दुबई की जनसंख्या सिर्फ 8 लाख की है। मगर उसकी सारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। इसलिए अरब देश होने के बावजूद वहां पर शराब पीने, डांस पार्टियों का आयोजन करने और होटलों में पुरुषों और महिलाओं के ठहरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यही कारण है कि वहां पर दुनिया भर की वेश्याएं मोटी कमाई करने के लिए जाती हैं। दुबई सरकार ने नग्न फोटो खिंचवाने वालों के खिलाफ इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की क्योंकि ऐसा करने से वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या पर भारी असर पड़ता। सरकारी सूत्रों के अनुसार दुबई में विश्व भर के 45 से 50 लाख पर्यटक आते हैं और वे वहां पर खुलकर खर्च करते हैं। उनसे होने वाली कमाई ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।

एर्दोगान की आलोचना करने वाले दस पूर्व सैनिक अधिकारी गिरफ्तार

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 अप्रैल) के अनुसार तुर्की ने अपनी नौसेना के दस सेवानिवृत्त उच्चाधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। इन अधिकारियों ने इस्तांबुल में नहर बनाने की योजना की खुलकर आलोचना की थी। ये अधिकारी उन 104 सेवानिवृत्त अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगान को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि इस योजना से बोस्पोरुस जलडमरू की अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन हो सकता है। बोस्पोरुस जलडमरू वह एक मात्र जलमार्ग है जो कि मरमरा सागर के जरिए काला सागर को भूमध्य सागर से मिलाता है।

2016 में अर्दगान के खिलाफ असफल सैनिक विद्रोह के बाद कई उच्चाधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया था। हाल ही में साइप्रस के साथ तुर्की के संबंधों में तनाव आया है क्योंकि तुर्की ने भूमध्य सागर में पेट्रोल और गैस के भंडार तलाशने शुरू कर दिए हैं। 2011 में एर्दोगान ने यह घोषणा की थी कि हम इस्तांबुल नहर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह योजना पनामा और स्वेज से भी बेहतर होगी। इस नहर के बनने से बोस्पोरुस जलडमरू में जहाजों की भीड़ कम हो जाएगी। तब इस योजना पर दस अरब डॉलर लागत आने का अनुमान लगाया गया था। विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान काल में तुर्की की आर्थिक व्यवस्था इतनी डांवाडोल है कि वह इतनी महंगी योजना को शुरू नहीं कर सकता।

अन्य

सिमी के एक दर्जन कार्यकर्ताओं को उम्रकैद

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार जयपुर के एक न्यायालय ने प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंधित 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। राजस्थान में 2014 में कम्प्यूटर और इंजिनियरिंग के 13 छात्रों को बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील लियाकत खान ने बताया कि न्यायालय ने एक व्यक्ति को रिहा कर दिया है। इनके खिलाफ देशद्रोह का भी मुकदमा था। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास से बम बनाने और विस्फोटक पदार्थ इक्ट्ठे करने का आरोप भी सिद्ध हुआ है। जिन नौजवानों को सजा सुनाई गई है उनमें मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद उमर, अब्दुल वाहिद गौरी, मोहम्मद वकार, अब्दुल माजिद, वकार अजहर, मोहम्मद मारूफ, बरकत अली, मोहम्मद साकिब और अशरफ अली खान शामिल हैं। जबकि मुशरफ इकबाल को न्यायालय ने बरी कर दिया है।

कश्मीर में शियाओं की सबसे बड़ी मस्जिद

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार कश्मीर में शियाओं की सबसे बड़ी जामा मस्जिद की आधारशिला रखी गई है। यह मस्जिद कश्मीर यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित हुसैनाबाद इलाके में बनाई जा रही है। इसकी आधारशिला जम्मू कश्मीर, अंजुमन शरई शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हुसैन अल-मोसाबी ने रखी है। इस मस्जिद का क्षेत्रफल 19 हजार वर्ग फीट होगा और इसमें एक साथ बारह हजार नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे। इस मस्जिद में चार मंजिलें होंगी। तीसरी मंजिल पर एक शानदार पुस्तकालय भी होगा जिसमें इस्लाम से संबंधित पुस्तकों का भंडार रखा जाएगा। शिया नेताओं के अनुसार यह जम्मू-कश्मीर में सबसे बड़ी शिया मस्जिद होगी।

इंद्रेश कुमार की शिया नेताओं से मुलाकात

कौमी तंजीम (31 मार्च) के अनुसार देश के दो प्रमुख शिया नेताओं मौलाना सैयद हुसैन कुमी और मौलाना रजानी हसन अली रूहानी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार से मुलाकात करके उन्हें होली की बधाई दी। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य भारतीय समाज के सभी लोगों को आपस में जोड़ना है। हमारी नजर में सभी भारतीय चाहे उनका धर्म कुछ भी हो भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी आपसी मतभेद को भूलकर एकजुट होना चाहिए ताकि वे देश के नवनिर्माण और विकास में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने इन दोनों शिया नेताओं से आग्रह किया कि वे भारतीय मुसलमानों की एकता की संवृद्धि के लिए प्रयत्न करें और उन्हें भारतीय समाज के साथ जोड़ें।

काबा में इस्लामिक स्टेट का नारा लगाने वाला गिरफ्तार

सहाफत (3 अप्रैल) के अनुसार काबा में इस्लामिक स्टेट के पक्ष में नारा लगाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से एक चाकू भी बरामद हुआ है। बताया जाता है कि यह व्यक्ति काबा की पहली मंजिल पर नमाज के बाद चाकू लहरा रहा था और नारे लगा रहा था। काबा के प्रमुख शेख अब्दुल रहमान अल-सुदैस ने बताया कि काबा शांति का घर है और उसमें किसी को अतिवादी नारे लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्योंकि यह इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है। इस व्यक्ति ने काबा का सम्मान नहीं किया है। काबा नमाज, परिक्रमा और हज के लिए है। बताया जाता है कि इससे पूर्व जून 2017 में काबा पर हमले के एक प्रयास को सऊदी अरब के सुरक्षा सैनिकों ने विफल बना दिया था। आतंकवादियों और सुरक्षा सैनिकों के बीच हुई झड़पों में कई लोग मारे गए थे और एक भवन पूर्ण रूप से तबाह हो गया था।

हैदराबाद की मक्का मस्जिद के कर्मचारियों पर बेरोजगारी का संकट

सियासत (30 मार्च) के अनुसार वक्फ विभाग ने हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के 13 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। इनमें खतीब, इमाम और मुअज्जिन शामिल हैं। इनके स्थान पर एक एजेंसी के कर्मचारियों को ठेके पर रखा जा रहा है। मक्का मस्जिद के एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने वक्फ विभाग के निदेशक को एक पत्र लिखकर यह मांग की थी कि इन दोनों मस्जिदों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाए क्योंकि महंगाई काफी बढ़ चुकी है। मगर उनकी वेतन में वृद्धि करने की बजाय उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1976 से दोनों मस्जिदों के कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है और इमामों को 11 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इस कर्मचारी ने यह आरोप लगाया कि वक्फ विभाग को मस्जिदों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं। समाचारपत्र ने तेलंगाना के गृहमंत्री जो कि वक्फ विभाग के मंत्री भी हैं से यह अनुरोध किया है कि ये पुराने कर्मचारी जो कि दशकों से काम कर रहे हैं उन्हें नौकरी से न हटाया जाए।

RNI No. DELHIN/2017/72722

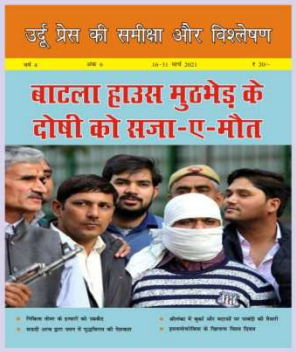

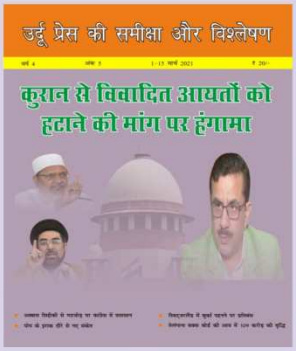

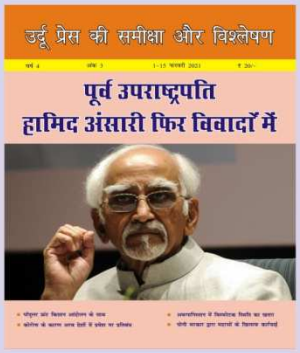

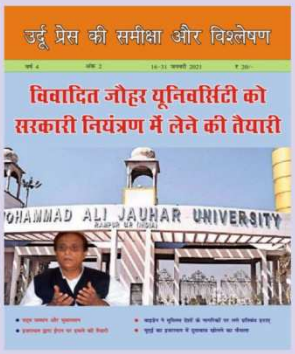

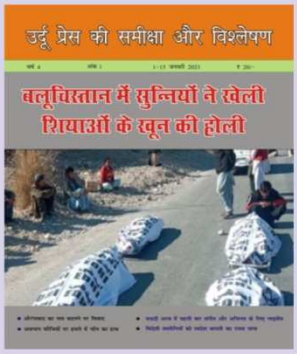

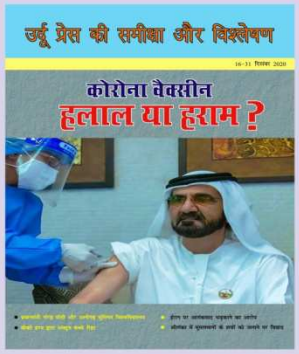

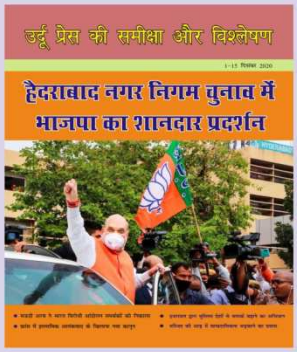

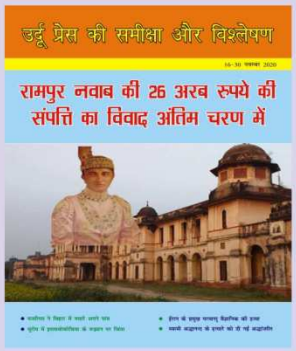

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीप्तेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, वेबसाइट : indiapolicy@gmail.com